FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (सेडूकाबास)

किस्म मुकदमा :– गै.मु.रास्ता धारा 131, 132 मु0नं0 311 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21-06-2024	(आदेश नीचे)	

21-06-2024

पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से **राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132** में गै.मु.रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8. 2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक रीडर/2024/3002 दिनांक 04.05.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **सेडूकाबास** पटवार मण्डल **मांकड़ी** तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **486/1, 486/3, 486/2, 492/1 में से 04 मीटर चौड़ा व 90 मीटर लम्बाई का ढाणी इच्छुकला से हवासिंह के मकान की ओर जाता है** का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। रास्ते के फोटो ग्राफ सलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। जिन भूमियों में से रास्ता प्रस्तावित किया है उन भूमियों के अधिकतर खातेदारान ने प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शें में तरमीम करने की लिखित सहमति प्रदान की है। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। [illegible] द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा [illegible] राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना [illegible] तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:39:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner